इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेता वहन करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द **"विक्रेता"** और **"क्रेता"** के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, **"विक्रेता"** में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशिती का तथा **"क्रेता"** में उसके दायाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में **"क्रेता"** और **"विक्रेता"** की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित हैं:-

नजूल भूखण्ड सं0 पोर्सन ए-10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद का फ्रीहोल्ड उप-विभाजित उपखण्ड सं0 पोर्सन ए-10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद, क्षेत्रफल 3708.22 वर्गमीटर स्थित मोहल्ला म्योर रोड, जनपद-इलाहाबाद जो संलगन नक्शे

क्रेता के हस्ताक्षर

Naresh Tulsiani

शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्रा0) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय-37, एलगिन रोड
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद

में लाल रंग से तथा सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित 87.22 वर्गमीटर भूमि पीले रंग से दिखाया गया है और जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित हैं:–

पूरब	–	नजूल भूखण्ड सं0 पोर्सन ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद का अंश भाग
पश्चिम	–	बंगला न0 32, म्योर रोड, इलाहाबाद
उत्तर	–	बंगला नं0 18, हेस्टिंग रोड, इलाहाबाद
दक्षिण	–	सड़क चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 87.22 वर्गमीटर भूमि बादहू म्योर रोड।

फ्री–होल्ड के लिए "**क्रेता**" ने स्वमूल्यांकन की धनराशि **रूपये 1,48,71,000/– (रूपये अड़तालिस लाख इक्हत्तरि हजार मात्र)** ट्रेजरी चालान संख्या–**A170010** दिनांक 01.08.2014 द्वारा तथा ट्रेजरी चालान सं0 **A-080002** दिनांक 11.07.2012, द्वारा पूर्व में जमा की गयी धनराशि रू0 66,43,000/– (रुपये छांछठ लाख तैंतालिस हजार मात्र) मय 5 प्रतिशत ब्याज सहित वापस की जाने वाली धनराशि रु0 72,93,650/– (रूपये बहत्तरि लाख तिरानवे हजार छः सौ पचास मात्र) शासनादेश दिनांक 04.03.2014 के अनुसार समायोजित करने के पश्चात् दिनांक 15.01.2015 को निर्गत मॉंग पत्र संख्या 78/नजूल–(डी0एन0सी0) XXI-8/58 (फ्री–होल्ड) 2014–15 द्वारा आपेक्षित धनराशि **रूपये 4,99,12,281/– (चार करोड़ निन्यानवे लाख बारह हजार दो सौ इक्यासी रुपया मात्र)** ट्रेजरी चालान संख्या–**A-140001,** दिनांक 10.04.2015 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण आकलित मूल्य **मुबलिग 7,20,76,931/–** रुपया (रुपया

क्रेता के हस्ताक्षर

Naresh Tulsiani

शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्रा0) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी

विक्रेता

(राम ...)

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद।

सात करोड़ बीस लाख छिहत्तरि हजार नौ सौ इक्कतीस मात्र) जमा कर दिया है।

इस फ्रीहोल्ड–विलेख में मुबलिग 50,45,400/– रुपया जरिये E-Stamp जिसका सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP01006760344412N दिनांक 10.04.2015 है, के द्वारा स्टाम्प शुल्क अदा किया है।

क्रेता के हस्ताक्षर

Naresh Tulsiani

शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्रा0) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी
पुत्र स्व0 सी0 एल0 तुलसियानी
निवासी 13/1, अलोपीबाग, पंजाबी कालोनी,
परगना व तहसील–सदर, जिला–इलाहाबाद

विक्रेता

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद।

1. साक्षी का हस्ताक्षर Arun Kumar Singh, Advocate
पूरा नाम Arun kumar Singh
पिता का नाम Sri Rajendra Singh
पता S70/475 colonelganj
Allahabad

1. साक्षी का हस्ताक्षर
नाम व पद नाम
~~पिता का नाम~~

1. साक्षी का हस्ताक्षर Chandan Singh
पूरा नाम CHANDAN SINGH
पिता का नाम Dulldhari Singh
पता 118/1A New Mumfordganj Alld

1. साक्षी का हस्ताक्षर
नाम व पद नाम
~~पिता का नाम~~

SITE PLAN OF PART OF NAZUL/PLOT NO. PORTION A-10, CIVIL STATION, ALLAHABAD, AREA 3708.22 SQ.METERS TO BE CONVERTED INTO FREEHOLD IN FAVOUR OF 'SHASHWAT INFRAESTATE PVT. LIMITED. THROUGH IT'S DIRECTOR SHRI NARES KUMAR TULSIANI, SHOWN IN RED COLOUR.

TOTAL AREA OF PLOT = 2 ACRES 3939 SQ.YARDS OR 11386.85 SQ.METERS

SCALE 1 INCH = 40 FEET.

NOTE

LAND EFFECTED AS PER MASTER PLAN FOR WIDENING OF MUIR ROAD HAVING AREA 87.22 SQ.METERS, SHOWN IN YELLOW COLOUR.

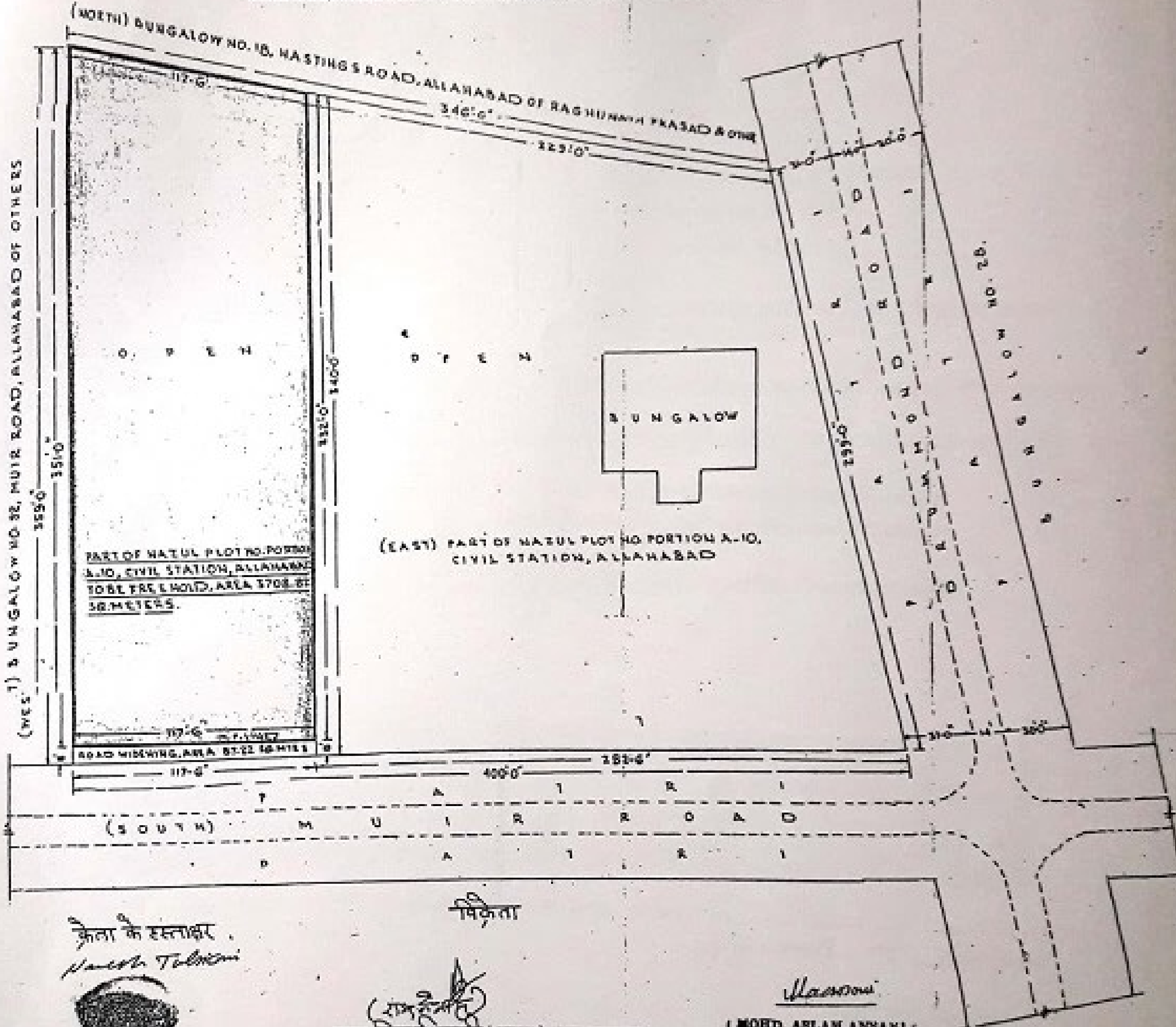

विक्रेता

क्रेता के हस्ताक्षर

(Signature)

अपर जिलाधिकारी (नजूल), इलाहाबाद
राज्यपाल उ0 प्र0 की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(Signature)

(MOHD. ASLAM ANSARI)
Qualified Draughtsman
Building Designer, Surveyor & Estimator
Address :- 72, Akberpur, Alld.
Mob. 9335155301

1646/-15

Shaista Zul...
Executive
SHCIL, G4, LDA Center, 2, S.P.M.
Civil Lines, Allahabad-2110...

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP01006760344412N
Certificate Issued Date	:	10-Apr-2015 02:56 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ ALLAHABAD1/ UP-AHD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0101212151619500N
Purchased by	:	ARUN KUMAR SINGH ADVOCATE
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PART OF NAZUL PLOT NO. PORTION A-10 CIVIL STATION ALLAHABAD AREA 3708.22 SQ MTS.
Consideration Price (Rs.)	:	7,20,76,931 (Seven Crore Twenty Lakh Seventy Six Thousand Nine Hundred And Thirty One only)
First Party	:	GOVERNOR OF UTTAR PRADESH THROUGH A D M NAZUL ALLD
Second Party	:	ShashwatInfraestatePvtLtdDirectorNareshKrTulsiani
Stamp Duty Paid By	:	ShashwatInfraestatePvtLtdDirectorNareshKrTulsiani
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	50,45,400 (Fifty Lakh Forty Five Thousand Four Hundred only)

ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL COPY COPY

Please write or type below this line

Naresh Tulsiani

(हस्ताक्षर)
ADM (Nazul)

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद।

XM 0001274456

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2015 ई0 के अप्रैल माह के ..10.....वें दिन, तदनुसार शक सम्वत् 1937 के बैशाख मास के कृष्ण पक्ष के .....06...वें दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, (जिनको यहाँ आगे चलकर ''विक्रेता'' कहा गया है) प्रथमपक्ष तथा शाश्वत इन्फ्राइस्टेट (प्रा0) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय : 37, एलगिन रोड, सिविल लाइन्स, डाकखाना–प्रधान डाकघर, परगना व तहसील–सदर, जिला–इलाहाबाद द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी पुत्र स्व0 सी0 एल0 तुलसियानी निवासी 13/1, अलोपीबाग, पंजाबी कालोनी, परगना व तहसील–सदर, जिला–इलाहाबाद (जिनको यहाँ आगे चलकर ''क्रेता'' कहा गया है) द्वितीयपक्ष के मध्य लिखा गया है।

चूँकि दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इण्डिया इन काउंसिल तथा मिस मारिया ड्रमण्ड के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 15.09.1914, जो बही नं0 1, वाल्यूम 3937, पृष्ठ 97 पर दस्तावेज नं0 1914 के रूप में सब–रजिस्ट्रार, चायल, इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 03.11.1914 को

Naresh Tulsiani
क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्रा0) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से
उनके द्वारा प्राधिकृत

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद।

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद।

रजिस्टर्ड है (जिसे आगे "पट्टा विलेख" कहा गया है और जिसमें दि सिक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इण्डिया इन काउन्सिल को "पट्टादाता" तथा मिस मारिया ड्रमण्ड को "पट्टेदार" कहा गया है) और यह कि उक्त पट्टागत नजूल साइट नं0 पोर्सन ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद, जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2 एकड़ 3939 वर्गगज अथवा 13619 वर्गगज अथवा 11386.85 वर्गमीटर है, का पट्टा मिस मारिया ड्रमण्ड के पक्ष में दिनांक 15.09.1914 को निष्पादित हुआ, जिसकी कुल अवधि 30–30 वर्ष के दो मध्यवर्ती नवीनीकरण के साथ दिनांक 09.03.1914 से 90 वर्ष थी। मिस मारिया ड्रमण्ड के जीवनकाल तक उनका नाम नजूल सम्पत्ति पंजिका में उपरोक्त नजूल भूखण्ड पर पट्टेदार के रूप में दर्ज रहा। पट्टेदार मिस मारिया ड्रमण्ड ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त नजूल भूखण्ड संख्या पोर्सन ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद, क्षेत्रफल 11386.85 वर्गमीटर व उस पर निर्मित भवन मय जमीन व अमला तथा लीज होल्ड राइट के सम्बन्ध में एक वसीयतनामा दिनांक 08.10.1938 को हेनरी ड्रमण्ड व जान एरिक मान ड्रमण्ड के पक्ष में निष्पादित किया था, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने टेस्टामेन्टरी केस नं0 4 सन् 1939 में अपने आदेश दिनांक 25.03.1939 के द्वारा प्रोवेट भी जारी किया है। उक्त पट्टा दिनांक 15.09.1914 की अवधि समाप्त होने पर उपरोक्त नजूल भूखण्ड सं0 पोर्सन ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद, क्षेत्रफल 11386.85 वर्गमीटर का नवीनीकरण पट्टा विलेख हेनरी ड्रमण्ड व जान एरिक मार्क ड्रमण्ड के पक्ष में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल व उनके द्वारा प्राधिकृत कलेक्टर, इलाहाबाद ने दिनांक 17.05.1957 को निष्पादित किया, जिसका पंजीकरण बही नं0 1, जिल्द

Naresh Tulsiani
क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता
(राम...)

शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्रा0) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद।

1061, पृष्ठ 287 पर द0नं0 1733 के रूप में दिनांक 09.18.1957 को उप–निबन्धक, चायल, इलाहाबाद के कार्यालय में किया गया है, जो दिनांक 09.03.1944 से तीस वर्ष के लिए अर्थात् 08.03.1974 तक प्रभावी रहा। सह–पट्टेदार हेनरी ड्रमण्ड अपने पीछे अपनी दो पुत्रियाँ क्रमशः जोरा मर्जरी ड्रमण्ड (विवाहोपरान्त जोरा मर्जरी पाल) व मौरीन ड्रमण्ड (विवाहोपरान्त मौरीन हसन) तथा एक पुत्र ए0 एच0 ड्रमण्ड को बतौर अपना विधिक प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी छोड़कर फौत कर गये। इस प्रकार ए0 एच0 ड्रमण्ड, श्रीमती जोरा मर्जरी पाल व श्रीमती मौरीन हसन नजूल भूखण्ड सं0 पोर्सन ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद क्षेत्रफल 13619 वर्गगज यानी 11386.85 वर्गमीटर में अपने पिता के 1/2 (एक बटा दो) हिस्से में प्रत्येक 1/3 (एक बटा तीन), 1/3 (एक बटा तीन) व 1/3 (एक बटा तीन) हिस्से के पट्टेदार हुए। तत्पश्चात् सहपट्टेदार स्वर्गीय हेनरी ड्रमण्ड के उपरोक्त विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य उपरोक्त नजूल भूखण्ड में उनके 1/2 (एक बटा दो) हिस्से के सम्बन्ध में मौखिक पारिवारिक समझौता हुआ, जिसके अनुसार ए0 एच0 ड्रमण्ड उपरोक्त नजूल भूखण्ड सं0 ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के अंश भाग क्षेत्रफल 1897.11 वर्गमीटर व उस पर निर्मित भवन जानिब म्योर रोड व ड्रमण्ड रोड, इलाहाबाद का कार्नर के मालिक व पट्टेदार हुए तथा श्रीमती जोरा मर्जरी पाल व श्रीमती मौरीन हसन उपरोक्त नजूल भूखण्ड सं0 पोर्सन ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहबदा के अंश भाग पश्चिम हिस्सा, क्षेत्रफल 3795.44 वर्गमीटर की पट्टेदार हुयीं। माननीय न्याायलय अपर जज खफीफा (बहैसियत सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी), इलाहाबाद ने भूखण्ड उपरोक्त के

Naresh Tulsiani
क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता

(राम नरेश)

शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्रा0) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इला०

सम्बन्ध में दायर मूलवाद सं0 442 सन् 1988, एलन हेनरी ड्रमण्ड बनाम गणपति सहकारी आवास समिति आदि में पारित अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2004 के द्वारा उपरोक्त श्रीमती जोरा मर्जरी पाल व श्रीमती मौरीन हसन के हिस्से का निर्धारण भी कर दिया है। इस प्रकार श्रीमती जोरा मर्जरी पाल व श्रीमती मौरीन हसन उपरोक्त नजूल भूखण्ड सं0 पोर्सन ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के अंश भाग क्षेत्रफल 2795.44 वर्गमीटर की पट्टेदार हुयी। तत्पश्चात् पट्टेदार श्रीमती जोरा मर्जरी पाल व श्रीमती मौरीन हसन ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 23.11.2013, जिसका पंजीकरण बही नं0 1, जिल्द नं0 8348, पृष्ठ 373 लगायत 400 पर द0नं0 2887 के रूप में दिनांक 07.06.2014 को उप–निबन्धक, सदर (प्रथम), इलाहाबाद के कार्यालय में किया गया है; उपरोक्त नजूल भूखण्ड सं0 पोर्सन ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के अंश भाग क्षेत्रफल 3795.44 वर्गमीटर को शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्राइवेट) लिमिटेड; पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी पुत्र स्व0 सी0 एल0 तुलसियानी नि0 13/1, पंजाबी कालोनी, इलाहाबाद के पक्ष में अन्तरित कर दिया है।

इसी आधार पर शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्राइवेट) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी पुत्र स्व0 सी0 एल0 तुलसियानी नि0 13/1, पंजाबी कालोनी, इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश शासन की नई फ्रीहोल्ड नीति के परिप्रेक्ष्य में नजूल भूखण्ड सं0 पोर्सन ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद का अंश भाग

क्रेता के हस्ताक्षर	विक्रेता
Naresh Tulsiani	(राम ...)
शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्रा0) लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड सिविल लाइन्स, इलाहाबाद द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी	अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद।

क्षेत्रफल 3795.44 वर्गमीटर भूमि को फ्रीहोल्ड किये जाने हेतु आवेदन पत्र सं0 58 दिनांक 02.08.2014 को प्रस्तुत किया और क्रेता द्वारा आवेदित नजूल भूखण्ड सं0 पोर्सन ए–10, सिविल स्टेशन, इलाहाबाद के अंश भाग क्षेत्रफल 3795.44 वर्गमीटर में से रोड चौड़ीकरण का क्षेत्रफल 87.22 वर्गमीटर, जो संलग्न नक्शे में पीले रंग से प्रदर्शित है, को छोड़कर शेष भूमि क्षेत्रफल 3708.22 वर्गमीटर भूमि, जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित है, का फ्रीहोल्ड आवेदक (शाश्वत् इन्फ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड) के पक्ष में किया जा रहा है। इस प्रकार 'क्रेता' पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड, जिसे इस विलेख की अनुसूची में वर्णित किया गया है, के पट्टेदार का क्रेता है।

और चूँकि क्रेता ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड, जिसके कि वह पट्टेदार का क्रेता है, उत्तर प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या–2268/9–आ–4–98–704एन/97, दिनांक 01.12.1998 एवं शासनादेश संख्या–1956/8–4–08–266एन/08, दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या–1171/8–4–09–266एन/08, दिनांक 26.05.2009 एवं शासनादेश संख्या 1566/8–4–11–137एन/04, दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या–01/416/ 8–4–14–137एन/2013, दिनांक 04.03.2014 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार फ्री–होल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी जनपद–इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

क्रेता के हस्ताक्षर

Naresh Tulsian

शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्रा0) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी

विक्रेता

(राम ...)
अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद।

और चूँकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या–2288/9–आ–4–98–704एन/97, दिनांक 01.12.1998 एवं शासनादेश संख्या–1956/8–4–08–266एन/08, दिनांक 21.10.2008 एवं शासनादेश संख्या–1171/8–4–09–266एन/08, दिनांक 26.05.2009 एवं शासनादेश संख्या 1566/8–4–11– 137एन/04, दिनांक 28.09.2011 एवं शासनादेश संख्या–01/416/ 8–4–14–137एन/2013, दिनांक 04.03.2014 के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि **रूपये 1,48,71,000/– (रुपये एक करोड़ अड़तालिस लाख इकहत्तरि हजार मात्र)** ट्रेजरी चालान संख्या–**A170010,** दिनांक 01.08.2014 द्वारा तथा ट्रेजरी चालान सं0 **A-080002,** दिनांक 11.07.2012 द्वारा पूर्व में विक्रेता जोरा मर्जरी पाल आदि द्वारा जमा की गयी धनराशि रू0 66,43,000/– (रुपये छांछठ लाख तैंतालिस हजार मात्र), जिसे क्रेता के पक्ष में फ्रीहोल्ड की धनराशि में समायाजित किये जाने का उल्लेख विक्रय पत्र दिनांक 23.11.2013 में किया गया है तथा मय 5 प्रतिशत ब्याज सहित वापस की जाने वाली धनराशि रु0 72,93,650/– (रूपये बहत्तरि लाख तिरानवे हजार छः सौ पचास मात्र) शासनादेश दिनांक 04.03.2014 के अनुसार समायोजित करने के पश्चात् दिनांक 15.01.2015 को निर्गत मांग–पत्र संख्या–78/नजूल–(डी0एन0सी0) XXI-8/58 (फ्री–होल्ड) 2014–15 द्वारा आपेक्षित धनराशि रूपये **4,99,12,281/– (चार करोड़ निन्यानवे लाख बारह हजार दो सौ इक्यासी रुपया मात्र)** ट्रेजरी चालान संख्या–**A-140001,** दिनांक 10.04.2015 द्वारा इस प्रकार सम्पूर्ण आकलित मूल्य **मुबलिग 7,20,76,931/– रुपया (रुपया सात करोड़ बीस लाख छिहत्तरि हजार नौ सौ इक्कतीस मात्र)** क्रेता से प्राप्त करके जिलाधिकारी, जनपद–इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की

क्रेता के हस्ताक्षर

Naveen Tulsi

शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्रा0) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी

विक्रेता

(शुभ नहार)

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद।

अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड को निजी स्वामित्व वाला. (फ्री–होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत है।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट 1895 (सन् 1895 ई0 का ऐक्ट संख्या–15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेता के पक्ष में फ्री–होल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि **रूपये 7,20,76,931/– (सात करोड़ बीस लाख छिहत्तरि हजार नौ सौ इक्कतीस रुपया मात्र)** जनपद इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में उपर्युक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट **'आवासीय भू–उपयोग'** के निमित्त फ्री–होल्ड घोषित करते हैं और उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता, उसके दायाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेता करेगा।

क्रेता के हस्ताक्षर

Naresh Tulsiani

शाश्वत् इन्फ्रास्टेट (प्रा0) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय–37, एलगिन रोड
सिविल लाइन्स, इलाहाबाद
द्वारा निदेशक श्री नरेश कुमार तुलसियानी

विक्रेता

(राम [illegible])

अपर जिलाधिकारी (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ0प्र0 की ओर से
तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

अपर जिलाधिकारी (नजूल)
इलाहाबाद।